**<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।</u>**

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1487/2026

(CNR No.UPBH010039842026)

शुभम गौड़ आयु 32 साल पुत्र सतीश उर्फ सत्तन, निवासी–डिहवा कलां, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच––– ———आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

राज्य उ०प्र०––– ————————अभियोगी।

**एवं**

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1491/2026

(CNR No.UPBH010039852026)

शिवम गौड़ आयु 30 साल पुत्र अशोक कुमार गौड़, निवासी–डिहवा कलां, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच––– ———आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

राज्य उ०प्र०––– ———अभियोगी।

अपराध संख्या–20/2026,
धारा–316(5), 319(2), 318(4), 338,
336(3), 340(2) बी०एन०एस०,
थाना–जरवल रोड, जनपद–बहराइच।

———

**<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र</u>**

**<u>05.08.2026</u>**

**1.** थाना–जरवल रोड, जनपद–बहराइच के अपराध सं०–20/2026, अन्तर्गत धारा–316(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1487/2026 एवं आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1491/2026 स्वयं के पृथक–पृथक शपथ–पत्रों के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

**2.** उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही घटना एवं अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं। अतएव सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्रों को एकीकृत किया जाता है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1487/2026 अग्रणी रहेगा।

**3.** आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों व संलग्न शपथ–पत्रों में यह कथन किया गया कि उनका यह जमानत प्राथ ना–पत्र मुकदमा अपराध संख्या उपरोक्त में प्रथम है। सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

**4.** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि फर्म M/S KRISHNA MEDICO ENTERPRISES जी०टी०एन०–09BTUPP7389H1Z) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार से कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर जालसाजी करके बोगस पंजीयन प्राप्त कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचायी गई है।

**5.** वादी सी०के० गौतम उपायुक्त राज्य कर की उक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक–03.02.2026 को समय 15:22 बजे फर्म MS Krishna Medico Enterprises के प्रोपराइटर राकेश पांचाल के विरुद्ध अपराध सं०–20/2026, अन्तर्गत धारा–316(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० के अपराध में थाना–जरवल रोड में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। मामले में दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। मामले की विवेचना प्रचलित है।

**6.** आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.08.05 16:16:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभिकथनों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है। दौरान विवेचना एस०आई०टी० टीम द्वारा गिरफ्तार एक सह–अभियुक्त के बयान के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया गया है। उक्त बयान के अतिरिक्त उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उसके द्वारा न कोई दस्तावेज सिमकार्ड, आधार कार्ड, फोटो किसी का लिया गया है और न किसी को दिया गया है। फर्जी साक्ष्य के आधार पर उसको मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वह निर्दोष होते हुए भी जेल भेज दिया जायेगा। एस०आई०टी० द्वारा उसको उसका बयान लेने हेतु बुलाया गया था, जिसमें विवेचक के समक्ष उसने अपना बयान दिया था, किन्तु विवेचक द्वारा उसे गवाह बनाने हेतु दबाव डाला गया एवं उसके मुताबिक गवाह न बनने पर उसे मुकदमे में अभियुक्त बनाने की धमकी दी गई। न्यायालय सी०जे०एम० बहराइच के यहां आख्या मंगाने का प्रार्थना–पत्र दिया था, जिसमें विवेचक द्वारा यह आख्या दी गई थी कि आवेदक/अभियुक्त किसी मामले में वांछित नहीं है, उसे केवल बयान देने हेतु बुलाया जा रहा है, तो उसने आनलाइन प्रार्थना–पत्र के जरिये जवाब में भेजा था कि पूर्व में आप बयान अंकित कर चुके हैं। लिखित बयान भी विवेचना में सम्मिलित कर लें, इसके बाद दिनांक–15.06.2026 को आनलाइन विवेचक द्वारा सूचना भेजी गई कि वह मुकदमे में वांछित है। उसके पिता ने दिनांक–22.04.2026 को थानाध्यक्ष बौण्डी को ग्राम–चरीमाह, दा०–सिपहिया हुलास के कई लोगों के विरुद्ध शिकायत की थी कि उक्त लोग आवेदक/अभियुक्त को फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

**7.** आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए उपरोक्त कथनों के अतिरिक्त यह भी तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त अपना काम करता है। उसका अपना बैंक एकाउन्ट है तथा उसका मोबाइल व सिमकार्ड उसी के नाम का है। उक्त मोबाइल व सिमकार्ड के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य मोबाइल व सिमकार्ड नहीं है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष होते हुए भी जेल भेज दिया जायेगा। उसकी कोई अपराधिक पृष्ठिभूमि नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

**8.** राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्रामवासियों से सरकार द्वारा ठेलिया दिलाये जाने का लालच देकर छल, कपट व धोखाधड़ी से सिम व कागजात लेकर बोगस कागजात लगाकर बोगस फर्म के माध्यम से जी०एस०टी० की चोरी की। राज्य कर अधिकारी द्वारा M/S KRISHNA MEDICO ENTERPRISES जांच पर बोगस एवं अस्तित्वहीन पायी गई। बोगस फर्म M/S KRISHNA MEDICO ENTERPRISES का फर्म प्रमाण–पत्र लेते समय कूटरचित प्रमाण–पत्रों का इस्तेमाल किया गया है। बोगस फर्म द्वारा बोगस खरीद–बिक्री दिखायी गई है तथा सरकारी राजस्व की क्षति की गई है। आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्तगण का अन्य आपराधिक वादों में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले की विवेचना प्रचलित है। प्रकरण की जांच एस०आई०टी० द्वारा की जा रही है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और न ही उनके द्वारा विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान अंकित कराया गया है। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की गई तो उनके द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने व साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

**9.** अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

**10.** केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर बोगस फर्म कृष्णा मेडिको

इण्टरप्राइजेज का प्रमाण–पत्र लेते समय छल, कपट व धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए बोगस फर्म द्वारा खरीद–बिक्री दिखाकर जी०एस०टी० की चोरी करके सरकारी राजस्व की क्षति कारित की। केस डायरी के पर्चा संख्या–06 में वादी सी०के० गौतम उपायुक्त राज्य कर खण्ड–01 बहराइच ने विवेचक को अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–13 में साक्षी मोबाइल नम्बर 7390906851 धारक खेलावन ने विवेचक को अपने बयान में करीब दो वर्ष पूर्व शुभम गौड़ द्वारा उसके गांव आकर सरकारी योजना के तहत ठेलिया मिलने के बारे में बताने, आधार–कार्ड, एक फोटो व एक सिम देने के लिये कहने, उसके, राधेश्याम, कन्धईलाल, अवधेश, रामसमुझ, देशराज, मूलचन्द, रामलाल द्वारा अपना–अपना आधार–कार्ड, फोटो व सिम शुभम गौड़ को देने, जिसमें उसका सिम/मोबाइल नम्बर 7390906851 होने, करीब आठ/नौ महीना पहले राजस्थान पुलिस द्वारा उन लोगों से पूछतांछ करने आने, उसके द्वारा थानाध्यक्ष–बौण्डी को एक प्रार्थना–पत्र देने पर शुभम गौड़ व उसके पिता सत्यम गौड़ के थाने पर जाने, शुभम के चचेरे भाई शिवम गौड़ को खीरी लखीमपुर पुलिस द्वारा जी०एस०टी० के मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज देने, उसे उसके नम्बर–7390906851 का प्रयोग फर्जी फर्म बनाने में किये जाने के बारे में पता चलने एवं शुभम गौड़ द्वारा अपने चचेरे भाई शिवम गौड़ से मिलकर व अन्य सहयोगियों सहित बोगस जी०एस०टी० फर्म बनाकर अपराध करने का अभिकथन किया है। केस डायरी के उक्त पर्चे में ही साक्षीगण रामसमुझ, मूलचन्द्र, कन्धईलाल व काशीराम एवं केस डायरी के पर्चा संख्या–14 में साक्षी अवधेश, देशराज, रामलाल व राधेश्याम ने विवेचक को अपने–अपने बयानों में उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–19 में साक्षी दीपक गुप्ता उर्फ दीपू गुप्ता ने विवेचक को दिये अपने बयान में बिजली बिल खाता संख्या–2357170000 उसके पिता ओमप्रकाश गुप्ता, जिनकी मृत्यु करीब 06 वर्ष पहले होने, के नाम होने, मोबाइल नम्बर–9140269300 व 9292929292 के विषय में पूंछने पर 9292929292 नम्बर न होने एवं किसी के द्वारा जानबूझकर गलत नम्बर लिखने, 9140269300 नम्बर शिवम गौड़ का होने, शिवम गौड़ का कुछ साल पहले उसके मकान में किराये पर रहने, साइबर कैफे दुकान चलाने, शिवम गौड़ द्वारा मकान का बिल स्वयं जमा करने एवं बिल के साथ फ्राड करके मोबाइल नम्बर बदलने का अभिकथन किया है। आवेदक/अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद के अतिरिक्त छल, कपट व धोखाधड़ी से सम्बन्धित अन्य आपराधिक वाद पंजीकृत होने सम्बन्धी पुलिस आख्या प्रस्तुत की गई है। मामले में विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

**11.** अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ एवं आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–20/2026, अन्तर्गत धारा–316(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस०, थाना–जरवल रोड, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाते हैं।

इस जमानत आदेश की एक प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1491/2026 पर रखी जाये।

**(राजेश कुमार सिंह)**
**सत्र न्यायाधीश, बहराइच।**

**दिनाँकः–05.08.2026** **Id.No–UP02017**